लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462023

क्रमांक. / यू.सी.आर / सी / 82 / उ.मा.शि.नियो. / 2024 / 1767 भोपाल, दिनांक 16.10.2024

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम दिनांक 01.12.2022 के नियम 8 के उप नियम 5 एवं नियम 11 (तीन) के उप नियम 8 के क्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु दिनांक 28.04.2023 को विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन के क्रम में कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा 2023 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नानुसार पात्र अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक विषय–**गृह विज्ञान** के पद पर नियुक्त किया जाता है–

2/

SN	NAME AND FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	CONSOLIDATED RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	KRITIKA MISHRA F/H Name-TANUL MISHRA	HOUSE NO 5 SHIVPURI ROAD GANESH VIHAR COLONY JHANSI JHANSI JHANSI UP	11330090	4	**UR**	UR/X/OP	DISE-23060900141 GHSS GIRLS PICHHORE (9 TO 12) Block:- Pichhore	Shivpuri
2	AKANKSHA KHARE F/H Name-RAJAT KHARE	13/45 MANAS NAGAR MANAS NAGAR REWA, HUZUR REW MP	11317982	6	**UR**	UR/X/OP	DISE-23500123406 Govt. HSS PONDI BARGAWAN Block:- Chitarangi	Singrouli
3	MEGHA SHARMA F/H Name-ARUN KUMAR	VILLAGE PATHARAM POST PATHARAM NIWARI NIWARI NIW MP	11330083	8	**EWS**	EWS/X/OP	DISE-23090702108 GOVT. HSS TATAM Block:- NOWGONG	Chhatarpur
4	NEELIMA GOYAL F/H Name-RAVI GOYAL	265 RAJ NAGAR SECTOR E INDORE INDORE IND MP	11332921	34	**SC**	SC/X/OP	DISE-23200304310 GOVT. HSS RINGNOD Block:- JAORA	Ratlam
5	HEMLATA JAIN F/H Name-GANESH PRASAD KASHYAP	NA GYARASPUR VIDISHA GYARASPUR VID MP	11345450	54	**SC**	SC/X/OP	DISE-23120310514 GOVT HSS GIRLS, MLB, DAMOH (Class 6-12) Block:- Damoh	Damoh
6	RASHMI JAIN F/H Name-RAJENDRA KUMAR JAIN	WARD NO 01 DAFAI TOLA, VIDYASAGAR MARG KOTMA KOTMA ANP MP	11300926	58	**EWS**	GF/EWS/X/OP	DISE-23390221125 GOVT. HSS GIRLS, KARONDIGRAM Block:- JABALPUR (URBAN)	Jabalpur

DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION

SN	NAME AND FATHER'S NAME	ADDRESS	ROLL NO	CONSOLIDATED RANK	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
7	SHWETA LANDE F/H Name-SANTOSH LANDE	85 MAA PURNA WARD 11 BHAINSDEHI BHAINSDEHI BET MP	11317971	64	**OBC**	GF/OBC/X/OP	DISE-23350320901 EPES-GOVT HSS GIRLS BETUL BAZAR Block:- Betul	Betul
8	RICHA MEHRA F/H Name-ASHOK KUMAR	5194/3 CHANDRA SHEKHER WARD LALMATI CHANDMARI TALAIYA JABALPUR JBP MP	11341100	76	**SC**	SC/X/F	DISE-23400121109 GOVT. HSS GIRLS, MLB, NARSINGHPUR Block:-Narsimhapur-Municipality	Narsinghpur
9	ANITA MANDLOI F/H Name-BHAGWAN SINGH MANDLOI	01 GRAM DEHRI POST DEHRI KUKSHI DHR MP	11332975	88	**ST**	ST/X/OP	DISE-23180507305 GOVT HSS KUNDLA (CLASS 6 TO 12) Block:-MANASA	Neemuch
10	SAPNA JHARIYA F/H Name-VIJAY KUMAR JHARIYA	1024 GOSALPUR GOSALPUR JABALPUR JBP MP	11341114	90	**SC**	SC/X/OP	DISE-23430915728 Govt. HSS Girls Amarwara Block:-Amarwara-Municipality	Chhindwara

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 9300–34800 + 3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200–114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत होगी। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश
II. 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. पात्रता परीक्षा की अंकसूची एवं आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित करने पर सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाणपत्र, E.W.S. प्रमाणपत्र

DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION

IV. चयन परीक्षा की अंकसूची एवं आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित करने पर सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाणपत्र, E.W.S. प्रमाणपत्र

V. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र **(परिशिष्ट–1)**

VI. मूल निवासी प्रमाण पत्र

VII. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।

VIII. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)

IX. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति

X. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र

XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड **(परिशिष्ट–2A)**

7/ उक्त दस्तावेजों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीपः– **1. यह नियुक्तियॉ माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित रिट अपील कमांक 818/2024 एवं 819/2024 तथा अन्य संबद्ध याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगीं।**

2. यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय /शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

16/10

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठा.कमांक./यू.सी.आर/सी/82/उ.मा.शि.नियो./2024/1768 **भोपाल, दिनांक 16.10.2024**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक, भोपाल ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता /पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.।

DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION

11. संबंधित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवसों के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION